अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

88/2021/225 पहाड़सिंह वगैरह / रणवीर सिंह

तारीख पेशी	2021/88 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री भैयाराम चौधरी श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

पहाड़सिंह वगैरह बनाम रणवीर सिंह वगैरह

5.4.21 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांटस की दिनांक 26.03.2021 को प्रार्थना पत्र स्थगन एवं अपील पर बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 92(अ), 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्टस एक ही परिवार के सदस्य है जिनके पूर्वज एक ही कर्ता खानदान के सदस्य है और उनकी संयुक्त खातेदारी/सह काश्तकारी की आराजीयात ग्राम नान्द तहसील पुष्कर में अवस्थित है। जिनके खसरा नम्बर 417,418, 419/2615, 4225 कुल रकबा 6.71 है0, खसरा नम्बर 425/2516 रकबा 0.57 है0, खसरा नम्बर 425/2249 रकबा 0.71 है0 स्थित है। जिसका अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस अपने अपने हिस्से अनसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। सभी पक्षकारान खातेदार है लेकिन वरवक्त सेटलमेन्ट सहवन से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 47 के नाम गलत से दर्ज कर दिया गया। अतः उनका नाम हटाकर सभी पक्षकारों के नाम अपने अपने हिस्से अनुसार रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं रेस्पोडेन्टस द्वारा अपीलांटस के हिस्से वं कब्जेकाश्त में दखल अंदाजी व मदाखलत उत्पन्न नहीं करें एवं अन्यत्र रहन, बेचान इत्यादि नहीं करें तथा जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जावें। वाद को दिनांक 17.04.2018 को दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये और आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.06.2018 को कुछ पक्षकारों की ओर से श्री अजीत सिंह राठौड़ एड़वोकेट ने वकालतनामा पेश किया और करीब आठ पेशियों पर या तो पीठासीन अधिकारी अवकाश पर थे या उनका स्थानान्तरण हो गया या चुनावी कार्यो में व्यस्त थें तथा ों और उक्त पत्रावली इन्तजार तामीली एवं जवाब हेतु प्रस्तुत थी। दिनांक 15.10.2019 को जिन पक्षकारों की ओर से अभिभाषक नियुक्त थे उन्होने जवाब प्रस्तुत किया और दिनांक 18.12.2019 को पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त रने एवं दिनांक 26.10.2020 को पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने से अण्डर ट्रेनिगं अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण का अदम हाजिरी, अदम पैरवी एवं अदम पालना में खारिज कर दिया जबकि वादी/अपीलांट के अभिभाषक अजमेर से दूरभाष पर सम्पर्क करने पर बताया कि पीठासीन अधिकारी नहीं हैं और जब अपीलांट के अभिभाषक ने दो दिन बाद तारीख पेशी के बारे में जानकारी चाही तो बताया कि उक्त प्रकरण दिनांक 26.02.2020 को अदम हाजिरी, अदम पैरवी एवं अदम पालना में खारिज हा गया तो अपीलांटस के अभिभाषक ने बाजदायरी प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दिया और बाजदायरी प्रार्थना पत्र की नकल रेस्पोडेन्टस के अभिभाषक को उसी दिन दे दी गयी थी, जो उसी दिन बाजदायरी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर लिया और आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.05.2020 नियत की गई थी और उसके बाद वैश्विक महामारी कोविड़ –19 के तहत भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा लॉकडाउन से उक्त प्रकरण में तारीख पेशी पड़ती रही और जब दिनांक 10.02.2021 को अपीलांट के अभिभाषक ने बाजदायरी के प्रार्थना पत्र में सुनने का निवेदन किया और अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर ने उक्त बाजदायरी प्रार्थना पत्र को दिनांक 10.02.2021 को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मूल वाद अदम हाजिरी अदम पैरवी व अदम पालना से खारिज होने से बाजदायरी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.02.2020 से असंतुष्ट होकर यह अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

88/2021/225

पन्नासिंह व/द रणवीरसिंह

तारीख पेशी	2021/88 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री भींयाराम चौधरी श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

लगातार

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि पत्रावली पेशी दिनांक 15.06.2018 को कुछ पक्षकारों की ओर से श्री अजीतसिंह राठौड़ एड़वोकेट ने वकालतनामा पेश किया और पत्रावली वास्ते इन्तजार तामीली एवं जवाब हेतु प्रस्तुत थी और दिनांक 15.10.2019 को जिन पक्षकारों की ओर से अभिभाषक नियुक्त थे उन्होने जवाब प्रस्तुत किया और दिनांक 18.12.2019 को पीठासीन अधिकारी चुनानी कार्यो में व्यस्त थे और दिनांक 26.10.2020 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से अण्डर ट्रेनिंग अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण को अदम हाजिरी, अदम पैरवी एवं अदम पालना में खारिज किया जो कि न्यायिक प्रक्रिया को बिना अपनाये क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अविधिक निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त थे और अण्डर ट्रेनिंग अधिकारी द्वारा आदेश 09 नियम 05 के तहत् वाद को उसी सूरत में खारिज किया जाता है जब वादी द्वारा जानबूझ कर न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की हो। अपीलांटस का विवादित आराजीयात पर पुश्तैनी हक व हिस्सा निहित है। वरवक्त सेटलमेन्ट सहवन से पक्षकारों का नाम हटा दिये इसलिए वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुयी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद पैतृक आराजी के बाबत् था जिसमें हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत् प्रत्येक पक्षकार का जन्म से अधिकार है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर विचार किये बिना ही वादी के वाद को खारिज किया जबकि वादी व प्रस्तुत जवाब के आधार पर तनकियात कायम कर साक्ष्य लेकर के गुणावगुण पर निर्णय कायम किया जाना चाहिए था ऐसा ना किया जाकर घोर अवैधानिकता की है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष दिनांक 19.03.2020 को बाजदायरी प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था और उसके एक वर्ष बाद दिनांक 10.02.2021 को बाजदायरी प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया। उक्त आदेश से अपील प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था इसलिए न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अन्त में अभिभाषक अपीलांट ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के निर्णय दिनांक 26.02.2020 को निरस्त किये जाकर वाद को पुनः नम्बर पर लेकरण गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में आर.बी.जे.(9) 2002 पेज 187, आर.आर.टी. 2011(2) पेज 1430 की नजीरें प्रस्तुत की।

अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अपील मीमो व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में देरी के संतोषजनक कारण होने से प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार कर अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

बाद अवलोकन हम अभिभाषक अपीलांट प्रस्तुत नजीरो से सहमत हैं कि माननीय उच्चतर न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " वकील की गलती के कारण मामला खारिज तथा मुवक्किल पीड़ित नही होना चाहिए" एवं प्रकरण तकनीकी बिन्दु पर खारिज नही किये जाकर, मेरिट पर निस्तारण किया जावें। उक्त नजीरों से हम सहमत है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार करना उचित समझते हैं। **अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती हैं एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के निर्णय दिनांक**

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

20/2021/225 पहाड़सिंह V/s रणवीरसिंह

तारीख पेशी	2021/88 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री भीमाराम चौधरी श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
लगातार	26.02.2020 को निरस्त किया जाता हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिये जाते है कि प्रस्तुत प्रकरण को पुनः दर्ज कर रेस्पोडेन्टस की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस करावें एवं उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं प्रस्तुत वाद पत्र का गुणावगुण पर निस्तारण शीघ्र निस्तारण करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	